न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थनापत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/101/20	01–12–2020	08–02–2021

1. पंजाब नेशनल बैंक वसूली विभाग सर्कल ऑफिस अलवर हर्षिल ऑवर 29 नारू मार्ग अलवर राजस्थान सिक्योर क्रैडिटर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स ट्रैक्टर ट्रेडिंग कंपनी 53, तेज मंडी सदर थाना रोड अलवर

श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र श्री धीसा राम गुप्ता फ्लेट नं0 203 द्वितीय तल ओर्चिड रेजिडेन्सी मोती डूंगरी अलवर

श्रीमती रजनी खंडेलवाल पत्नी श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र श्री धीसा राम गुप्ता फ्लेट नं0 203 द्वितीय तल ओर्चिड रेजिडेन्सी मोती डूंगरी अलवर

2. (गृह ऋण)

श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र श्री धीसा राम गुप्ता फ्लेट नं0 203 द्वितीय तल ओर्चिड रेजिडेन्सी मोती डूंगरी अलवर

श्रीमती रजनी खंडेलवाल पत्नी श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र श्री धीसा राम गुप्ता फ्लेट नं0 203 द्वितीय तल ओर्चिड रेजिडेन्सी मोती डूंगरी अलवर

2. गृह ऋण–पर्सरल

श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र श्री धीसा राम गुप्ता फ्लेट नं0 203 द्वितीय तल ओर्चिड रेजिडेन्सी मोती डूंगरी अलवर

श्रीमती रजनी खंडेलवाल पत्नी श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र श्री धीसा राम गुप्ता फ्लेट नं0 203 द्वितीय तल ओर्चिड रेज़िडेन्सी मोती डूंगरी अलवर

अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

——:: निर्णय ::——

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति :–

- स्टोक्स, बुक डेब्ट्स एवं अन्य चल सम्पत्तियों का दृष्टिबंधक (प्राइमरी सिक्यूरिटी)
- श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र श्री धीसाराम गुप्ता के नाम साम्यिक बंधक आवासीय प्लॉट नं0 47 बुद्व विहार स्कीम, अलवर राजस्थान पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 334.94 वर्ग मीटर (400 वर्ग गज) है। सेल डीड नं0 3537 दिनांक 08.10.2003 सीमाऐं :– पूर्व:

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

यूआईटी प्लॉटस, पश्चिमी रोड, उत्तर प्लॉट नं0 बी 48, दक्षिण प्लॉट नं0 बी 46 (सम्पत्ति खाली भूखण्ड होने से दिनांक 20.11.2020 को श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र श्री धीसा राम गुप्ता प्रोप्राइटर एवं बंधककर्ता की उपस्थिति में भौतिक कब्जा ले लिया गया है, उनके द्वारा हस्ताक्षरित संबंन्धित पंचनामा एवं इंवैटी की प्रतियां)

- श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र श्री धीसा राम गुप्ता के नाम साम्यिक बंधक एवं साम्यिक बंधक के द्वारा प्रभार का विस्तार आवासीय फ्लेट नं0 203 ओर्चिड रेजिडेन्सी मोती डूंगरी अलवर राजस्थान पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1050.61 वर्ग फीट है। सेल डीड नं0 2008002055 दिनांक 29.03.2008, सीमाऐं पूर्व–फ्लेट एन्ट्री, पश्चिम–खुला, उत्तर–फ्लेट नं0 204, दक्षिण–खुला
- श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र श्री धीसा राम गुप्ता के नाम साम्यिक बंधक दुकान नं0 53 (पार्ट) का हिस्सा जो पुराना स्टेशन रोड, एग्रीकल्चर ऑफिस के सामने, तेज मंडी अलवर राजस्थान पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 20.50 वर्ग गज है। सेल डीड नं0 2011000593 दिनांक 09.02.2011 सीमाऐं पूर्व–श्री किशन लाल की दुकान, पश्चिम–श्रीमती उषा देवी का गोदान, उत्तर– श्रीमती उमा देवी की दुकान, दक्षिण–रोड, को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :–

1–रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2.–आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर जिला अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 08–02–2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08-02-2021

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर